

Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

148-2018/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, SEPTEMBER 6, 2018 (BHADRA 15, 1940 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 6th September, 2018

No.32-HLA of 2018/61/19415.— The Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2018, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 32- HLA of 2018.

THE HARYANA GOODS AND SERVICES TAX (AMANDMENT)

BILL, 2018

A

BILL

further to amend the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2018.

Short title and commencement

(2) Save as otherwise provided, the provisions of this Act shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

- 2. In section 2 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter called the principal Act),
 - in clause (4), for the words "the Appellate Authority and the Appellate Tribunal", the words, brackets and figures "the Appellate Authority, the Appellate Tribunal and the Authority referred to in sub-section (2) of section 171" shall be inserted;
 - (b) in clause (16), for the words "Central Board of Excise and Customs", the words "Central Board of Indirect Taxes and Customs" shall be substituted;
 - (c) for sub-clause (h) of clause (17), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

Amendment of section 2 of Haryana Act 19 of 2017.

- "(h) activities of a race club including by way of totalisator or a licence to book maker or activities of a licensed book maker in such club; and";
- (d) clause (18) shall be omitted;
- (e) in clause (35), for the word, brackets and letter "clause (c)", the word, brackets and letter "clause (b)" shall be substituted:
- (f) in sub-clause (f) of clause (69), after the word and figures "article 371", the words, figures and letter "and article 371J" shall be inserted;
- (g) in clause (102),-
 - (i) for the sign ";" existing at the end, the sign "." shall be substituted; and
 - (ii) the following Explanation shall be added, namely:-

"Explanation.- For the removal of doubts, it is hereby clarified that the expression "services" includes facilitating or arranging transactions in securities;".

Amendment of section 7 of Haryana Act 19 of 2017.

3. In section 7 of the principal Act,-

- (a) in sub-section (1),-
 - (i) in clause (b), after the words "or furtherance of business;", the word "and" shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st July, 2017;
 - (ii) in clause (c), after the words "a consideration", the word "and" shall be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from the 1st July, 2017;
 - (iii) clause (d) shall be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from the 1st July, 2017;
- (b) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st July, 2017, namely:-
 - "(1A) where certain activities or transactions, constitute a supply in accordance with the provisions of sub-section (1), they shall be treated either as supply of goods or supply of services as referred to in Schedule II.";
- (c) in sub-section (3), for the words, brackets and figures "sub-sections (1) and (2)", the words, brackets, figures and letter "sub-sections (1), (1A) and (2)" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st July, 2017.

Amendment of section 9 of Haryana Act 19 of 2017.

- **4.** For sub-section (4) of section 9 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:-
 - "(4) The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify a class of registered persons who shall, in respect of supply of specified categories of goods or services or both received from an unregistered supplier, pay the tax on reverse charge basis as the recipient of such supply of goods or services or both, and all the provisions of this Act shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying the tax in relation to such supply of goods or services or both."

Amendment of section 10 of Haryana Act 19 of 2017.

- 5. In section 10 of the principal Act,-
 - I. in sub-section (1)-
 - (i) for the words and sign "in lieu of the tax payable by him, an amount calculated at such rate", the words, sign, brackets and figures "in lieu of the tax payable by him under sub-section (1) of section 9, an amount of tax calculated at such rate" shall be substituted;
 - (ii) in the proviso,-
 - (a) for the words "one crore rupees", the words "one crore and fifty lakh rupees" shall be substituted; and
 - (b) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted;
 - (iii) after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that a person who opts to pay tax under clause (a) or clause (b) or clause (c) may supply services (other than those referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II), of value not exceeding ten per cent of turnover in the State in the preceding financial year or five lakh rupees, whichever is higher.";

- II. for clause (a) of sub-section (2), the following clause shall be substituted, namely:-
 - "(a) save as provided in sub-section (1), he is not engaged in the supply of services;".
- **6.** In clause (a) of sub-section (2) of section 12 of the principal Act, the words, brackets and figure "sub-section (1) of" shall be omitted.

Amendment of section 12 of Haryana Act 19 of 2017.

7. In sub-section (2) of section 13 of the principal Act,-

Amendment of section 13 of Haryana Act 19 of 2017.

- (a) in clause (a), the words, brackets and figure "sub-section (2) of" shall be omitted; and
- (b) in clause (b), the words, brackets and figure "sub-section (2) of" shall be omitted.
- **8.** In sub-section (2) of section 16 of the principal Act,-
 - (a) in clause (b), for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely:-

Amendment of section 16 of Haryana Act 19 of 2017.

- **"Explanation.-** For the purposes of this clause, it shall be deemed that the registered person has received the goods or services, as the case may be-
 - (i) where the goods are delivered by the supplier to a recipient or any other person on the direction of such registered person, whether acting as an agent or otherwise, before or during movement of goods, either by way of transfer of documents of title to goods or otherwise;
 - (ii) where the services are provided by the supplier to any person on the direction of an on account of such registered person.";
- (b) in clause (c), for the word and figures "section 41", the words, figures and letter "section 41 or section 43A" shall be substituted.
- 9. In section 17 of the principal Act,-
 - (a) in sub-section (3),-
 - (i) for the sign ";" existing at the end, the sign "." shall be substituted; and
 - (ii) the following Explanation shall be added, namely:-

"Explanation.- For the purposes of this sub-section, the expression "value of exempt supply" shall not include the value of activities or transactions specified in Schedule III, except those specified in paragraph 5 of the said Schedule.";

- (b) for clauses (a) and (b) of sub-section (5), the following clauses shall be substituted, namely:-
 - "(a) motor vehicles for transportation of persons having approved seating capacity of not more than thirteen persons (including the driver), except when they are used for making the following taxable supplies, namely:-
 - (A) further supply of such motor vehicles; or
 - (B) transportation of passengers; or
 - (C) imparting training on driving such motor vehicles;
 - (aa) vessels and aircraft except when they are used-
 - (i) for making the following taxable supplies, namely:-
 - (A) further supply of such vessels or aircraft; or
 - (B) transportation of passengers; or
 - (C) imparting training on navigating such vessels; or
 - (D) imparting training on flying such aircraft;
 - (ii) for transportation of goods;
 - (ab) services of general insurance, servicing, repair and maintenance in so far as they relate to motor vehicles, vessels or aircraft referred to in clause (a) or clause (aa):

Amendment of section 17 of Haryana Act 19 of 2017.

Provided that the input tax credit in respect of such services shall be available-

- (i) where the motor vehicles, vessels or aircraft referred to in clause (a) or clause (aa) are used for the purposes specified therein;
- (ii) where received by a taxable person engaged-
 - (I) in the manufacture of such motor vehicles, vessels or aircraft; or
 - (II) in the supply of general insurance services in respect of such motor vehicles, vessels or aircraft insured by him;
- (b) the following supply of goods or services or both-
 - (i) food and beverages, outdoor catering, beauty treatment, health services, cosmetic and plastic surgery, leasing, renting or hiring of motor vehicles, vessels or aircraft referred to in clause (a) or clause (aa) except when used for the purposes specified therein, life insurance and health insurance:

Provided that the input tax credit in respect of such goods or services or both shall be available where an inward supply of such goods or services or both is used by a registered person for making an outward taxable supply of the same category of goods or services or both or as an element of a taxable composite or mixed supply;

- (ii) membership of a club, health and fitness centre; and
- (iii) travel benefits extended to employees on vacation such as leave or home travel concession:

Provided that the input tax credit in respect of such goods or services or both shall be available, where it is obligatory for an employer to provide to its employees under any law for the time being in force.".

Amendment of section 20 of Haryana Act 19 of 2017.

10. In section 20 of the principal Act, in clause (c) to the Explanation, for the words and figures "under entry 84", the words, figures and letter "under entries 84 and 92A" shall be substituted.

Amendment of section 22 of Haryana Act 19 of 2017.

- 11. In section 22 of the principal Act,-
 - (a) in sub-section (1),-
 - (i) in the proviso, for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted; and
 - (ii) after the proviso, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided further that where such person makes taxable supplies of goods or services or both from a special category State in respect of which the Central Government has enhanced the aggregate turnover referred to in the first proviso, he shall be liable to be registered if his aggregate turnover in a financial year exceeds the amount equivalent to such enhanced turnover.";

(b) in clause (iii) to the Explanation, after the word "Constitution", the words and signs "except the State of Jammu and Kashmir and States of Arunachal Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Meghalaya, Sikkim and Uttarakhand" shall be added.

Amendment of section 24 of Haryana Act 19 of 2017 12. In clause (x) of section 24 of the principal Act, after the words "commerce operator", the words and figures "who is required to collect tax at source under section 52" shall be added.

Amendment of section 25 of Haryana Act 19 of 2017.

- 13. In section 25 of the principal Act,-
 - (a) in sub-section (1),-
 - (i) in the proviso, for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted; and
 - (ii) after the proviso, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided further that a person having a unit, as defined in the Special Economic Zones Act, 2005 (Central Act 28 of 2005), in a Special Economic Zone or being a Special Economic Zone developer shall have to apply for a separate registration, as distinct from his place of business located outside the Special Economic Zone in the State.";

(b) for the proviso to sub-section (2), the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that a person having multiple places of business in the State may be granted a separate registration for each such place of business, subject to such conditions, as may be prescribed.".

- 14. In section 29 of the principal Act,-
 - (a) in the marginal heading after the word "Cancellation", the words "or suspension" shall be inserted;
 - (b) in sub-section (1),-
 - (i) in clause (c), for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted; and
 - (ii) after clause (c), the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that during pendency of the proceedings relating to cancellation of registration filed by the registered person, the registration may be suspended for such period and in such manner, as may be prescribed.";

- (c) in sub-section (2),-
 - (i) in the proviso, for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted; and
 - (ii) after the existing proviso, the following proviso shall be added, namely: "Provided further that during pendency of the proceedings relating to cancellation of registration, the proper officer may suspend the registration for such period and in such manner as may be prescribed."
- **15.** In section 34 of the principal Act,-
 - (a) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:-
 - "(1) Where one or more tax invoices have been issued for supply of any goods or services or both and the taxable value or tax charged in that tax invoice is found to exceed the taxable value or tax payable in respect of such supply, or where the goods supplied are returned by the recipient, or where goods or services or both supplied are found to be deficient, the registered person, who has supplied such goods or services or both, may issue to the recipient one or more credit notes for supplies made in a financial year containing such particulars, as may be prescribed.";
 - (b) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:-
 - "(3) Where one or more tax invoices have been issued for supply of any goods or services or both and the taxable value or tax charged in that tax invoice is found to be less than the taxable value or tax payable in respect of such supply, the registered person, who has supplied such goods or services or both, shall issue to the recipient one or more debit notes for supplies made in a financial year containing such particulars, as may be prescribed."
- **16.** In sub-section (5) of section 35 of the principal Act,-
 - (i) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted; and
 - (ii) the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that nothing contained in this sub-section shall apply to any department of the Central Government or a State Government or a local authority, whose books of account are subject to audit by the Comptroller and Auditor General of India or an auditor appointed for auditing the accounts of local authorities under any law for the time being in force."

Amendment of section 29 of Haryana Act 19 of 2017.

Amendment of section 34 of Haryana Act 19 of 2017.

Amendment of section 35 of Haryana Act 19 of 2017.

Amendment of section 39 of Haryana Act 19 of 2017.

17. In section 39 of the principal Act,-

- (a) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:-
 - "(1) Every registered person, other than an Input Service Distributor or a non-resident taxable person or a person paying tax under the provisions of section 10 or section 51 or section 52 shall, for every calendar month or part thereof, furnish, in such form, manner and within such time as may be prescribed, a return, electronically, of inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable, tax paid and such other particulars, as may be prescribed:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, notify certain classes of registered persons who shall furnish return for every quarter or part thereof, subject to such conditions and safeguards as may be specified therein.";

- (b) in sub-section (7),-
 - (i) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted; and
 - (ii) the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, notify certain classes of registered persons who shall pay to the Government the tax due or part thereof as per the return on or before the last date on which he is required to furnish such return, subject to such conditions and safeguards as may be specified therein.";

- (c) for sub-section (9), the following sub-section shall be substituted, namely:-
 - "(9) Subject to the provisions of sections 37 and 38, if any registered person after furnishing a return under sub-section (1) or sub-section (2) or sub-section (3) or sub-section (4) or sub-section (5) discovers any omission or incorrect particulars therein, other than as a result of scrutiny, audit, inspection or enforcement activity by the tax authorities, he shall rectify such omission or incorrect particulars in such form and manner, as may be prescribed, subject to payment of interest under this Act:

Provided that no such rectification of any omission or incorrect particulars shall be allowed after the due date for furnishing of return for the month of September or second quarter following the end of the financial year to which such details pertain, or the actual date of furnishing of relevant annual return, whichever is earlier."

Insertion of section 43A in Haryana Act 19 of 2017.

- **18.** After section 43 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-
 - "43A. Procedure for furnishing return and availing input tax credit.- (1) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) of section 16, section 37 or section 38, every registered person shall in the returns furnished under sub-section (1) of section 39 verify, validate, modify or delete the details of supplies furnished by the suppliers.
 - (2) Notwithstanding anything contained in section 41, section 42 or section 43, the procedure for availing of input tax credit by the recipient and verification thereof shall be such, as may be prescribed.
 - (3) The procedure for furnishing the details of outward supplies by the supplier on the common portal, for the purposes of availing input tax credit by the recipient shall be such, as may be prescribed.
 - (4) The procedure for availing input tax credit in respect of outward supplies not furnished under sub-section (3) shall be such, as may be prescribed and such procedure may include the maximum amount of the input tax credit which may be so availed, not exceeding twenty per cent of the input tax credit available, on the basis of details furnished by the suppliers under the said sub-section.
 - (5) The amount of tax specified in the outward supplies for which the details have been furnished by the supplier under sub-section (3) shall be deemed to be the tax payable by him under the provisions of the Act.

- (6) The supplier and the recipient of a supply shall be jointly and severally liable to pay tax or to pay the input tax credit availed, as the case may be, in relation to outward supplies for which the details have been furnished under sub-section (3) or sub-section (4) but return thereof has not been furnished.
- (7) For the purposes of sub-section (6), the recovery shall be made in such manner, as may be prescribed and such procedure may provide for non-recovery of an amount of tax or input tax credit wrongly availed not exceeding one thousand rupees.
- (8) The procedure, safeguards and threshold of the tax amount in relation to outward supplies, the details of which may be furnished under sub-section (3) by a registered person,-
 - (i) within six months of taking registration;
 - (ii) who has defaulted in payment of tax and where such default has continued for more than two months from the due date of payment of such defaulted amount, shall be such, as may be prescribed.".
- 19. For sub-section (2) of section 48 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(2) A registered person may authorise an approved goods and services tax practitioner to furnish the details of outward supplies under section 37, the details of inward supplies under section 38 and the return under section 39 or section 44 or section 45 and to perform such other functions, in such manner, as may be prescribed."

Amendment of section 48 of Haryana Act 19 of 2017.

Amendment of section 49 of

Harvana Act 19

of 2017.

- **20.** In section 49 of the principal Act,-
 - (a) in sub-section (2), for the word and figures "section 41", the words, figures and letter "section 41 or section 43A" shall be substituted;
 - (b) in clause (c) of sub-section (5),-
 - (i) for the sign ";", the sign ":" shall be substituted; and
 - (ii) the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that the input tax credit on account of State tax shall be utilized towards payment of integrated tax only where the balance of the input tax credit on account of central tax is not available for payment of integrated tax;".

21. After section 49 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:-

"49A. Utilization of input tax credit subject to certain conditions.-Notwithstanding anything contained in section 49, the input tax credit on account of State tax shall be utilized towards payment of integrated tax or State tax, as the case may be, only after the input tax credit available on account of integrated tax has first been utilized fully towards such payment.

Insertion of section 49A and 49B in Haryana Act 19 of 2017

- 49B. Order of utilization of input tax credit. Notwithstanding anything contained in this Chapter and subject to the provisions of clause (d) and clause (e) of sub-section (5) of section 49, the Government may, on the recommendations of the Council, prescribe the order and manner of utilization of the input tax credit on account of integrated tax, Central tax, State tax or Union territory tax, as the case may be, towards payment of any such tax."
- **22.** In sub-section (9) of section 52 of the principal Act, for the word and figures "section 37", the words and figures "section 37 or section 39" shall be substituted.
- 23. In section 54 of the principal Act,-
 - (a) in sub-section (8), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:
 "(a) refund of tax paid on export of goods or services or both or on inputs or
 - "(a) refund of tax paid on export of goods or services or both or on inputs or input services used in making such exports;";
 - (b) in clause (2) of the Explanation,-

Amendment of section 52 of Haryana Act 19 of 2017.

Amendment of section 54 of Haryana Act 19 of 2017.

- (i) in item (i) of sub-clause (c), after the words "foreign exchange", the words "or in Indian rupees wherever permitted by the Reserve Bank of India" shall be inserted;
- (ii) for sub-clause (e), the following sub-clause shall be substituted, namely:-
 - "(e) in the case of refund of unutilized input tax credit under clause (ii) of the first proviso to sub-section (3), the due date for furnishing of return under section 39 for the period in which such claim for refund arises;".

Amendment of section 79 of Haryana Act 19 of 2017.

- **24.** After sub-section (4) of section 79 of the principal Act, the following Explanation shall be added, namely:-
 - **"Explanation.-** For the purposes of this section, the word person shall include "distinct persons" as referred to in sub-section (4) or sub-section (5) of section 25, as the case may be.".

Amendment of section 107 of Haryana Act 19 of 2017.

25. In clause (b) of sub-section (6) of section 107 of the principal Act, after the words "arising from the said order,", the words "subject to a maximum of twenty-five crore rupees," shall be inserted.

Amendment of section 112 of Haryana Act 19 of 2017. **26.** In clause (b) of sub-section (8) of section 112 of the principal Act, after the words "arising from the said order,", the words "subject to a maximum of fifty crore rupees," shall be inserted.

Amendment of section 129 of Haryana Act 19 of 2017.

27. In sub-section (6) of section 129 of the principal Act, for the words "seven days" occurring twice, the words "fourteen days" shall be respectively substituted.

Amendment of section 143 of Haryana Act 19 of 2017

- 28. In the proviso to clause (b) of sub-section (1) of section 143 of the principal Act,-
 - (i) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted; and
 - (ii) after the proviso, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided further that the period of one year and three years may, on sufficient cause being shown, be extended by the Commissioner for a further period not exceeding one year and two years respectively."

Amendment of Schedule I to Haryana Act 19 of 2017. **29.** In Schedule I to the principal Act, in paragraph 4, the word "taxable" shall be omitted.

Amendment of Schedule II to Haryana Act 19 of 2017. **30.** In Schedule II to the principal Act, in the heading, after the word "ACTIVITIES", the words "OR TRANSACTIONS" shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st July, 2017.

Amendment of Schedule III to Haryana Act 19 of 2017.

- 31. In Schedule III to the principal Act,-
 - (i) after paragraph 6, the following paragraphs shall be inserted, namely:-
 - "7. Supply of goods from a place outside India to another place outside India without such goods entering into India.
 - 8. (a) Supply of warehoused goods to any person before clearance for home consumption;
 - (b) Supply of goods by the consignee to any other person, by endorsement of documents of title to the goods, after the goods have been dispatched from the port of origin located outside India but before clearance for home consumption.";
 - (ii) The Explanation shall be numbered as Explanation 1 and after Explanation 1 as so numbered, the following Explanation shall be added, namely:-
 - **"Explanation 2.-**For the purposes of paragraph 8, the expression "warehoused goods" shall have the same meaning as assigned to it in the Customs Act, 1962 (Central Act 52 of 1962).".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (the Act) was enacted with a view to make a provision for levy and collection of tax on *intra-State* supply of goods or services or both by the State Government.

- 2. The Act provides for certain provisions for smooth transition of existing taxpayers to new goods and services tax regime. However, the new tax regime had faced certain difficulties. One of the major inconveniences caused to the taxpayers, especially small and medium enterprises, was the process of filing return and payment of tax under the Goods and Services Tax laws. In this regard, the proposed new return filing system envisages quarterly filing of return and tax payment for small taxpayers along with minimum paperwork. In order to implement the new return filing system, and also to overcome the above difficulties, it is proposed to amend the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 3. The proposed Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2018, *inter alia*, provides for the following, namely:—
 - (i) to amend section 7 of the Act to clarify the scope of supply;
 - (ii) to amend section 9 of the Act empowering the Haryana Government to notify classes of registered persons to pay the tax on reverse charge basis in respect of receipt of supplies of certain specified goods from unregistered suppliers;
 - (iii) to amend section 10 of the Act so as to enhance the limit of composition levy from one crore rupees to one crore and fifty lakh rupees;
 - (iv) to amend section 17 of the Act to specify the scope of input tax credit;
 - (v) to amend section 22 of the Act to enhance the exemption limit for registration in the special category States from ten lakh rupees to twenty lakh rupees;
 - (vi) to amend section 25 of the Act so as to facilitate tax payer to have the option to obtain multiple registrations for multiple places of business located within the State and to provide for separate registration for Special Economic Zone unit or developer;
 - (vii) to amend section 29 of the Act so as to insert a provision for temporary suspension of registration while cancellation of registration is under process;
 - (viii) to insert a new section 43A so as to provide for the new system of filing return and availing input tax credit:
 - (ix) to amend sub-section (6) of section 107 of the Act relating to Appeals so as to provide that the amount of pre-deposit payable for filing of appeal shall be capped at twenty five crore rupees;
 - (x) to amend section 129 of the Act so as to increase the period relating to detention or seizure of goods and conveyance in transit from seven days to fourteen days.
- 4. The Bill seeks to achieve the above objectives.

CAPTAIN ABHIMANYU, Excise and Taxation Minister, Haryana.

The Govenor has, in pursurance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh: The 6th September, 2018.

SUBHASH CHANDER, Additional Secretary.

FINANCIAL MEMORANDUM

The proposed Haryana Goods and Services	Tax (Amendment)) Bill, 2018 does no	t involve any	recurring or non-
recurring expenditure from the Consolidated Fund	of State.			

[प्राधिकृत अनुवाद]

2018 का विधेयक संख्या 32-एच0एल0ए0

हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, को आगे संशोधित करने के लिए,

भारत गणराज्य के उनहतरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

यह अधिनियम हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018, कहा जा सकता संक्षिप्त नाम तथा (1) 1. है ।

अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी तिथि को लागू होंगे, जो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परंतू इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न–भिन्न तिथियां नियत की जा सकती हैं और किसी ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के लागू होने के प्रतिनिर्देश है ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 में,-

हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 2 का

- खण्ड (4) में, ''और अपील अधिकरण शामिल नहीं है'' शब्दों के स्थान पर, '',अपील अधिकरण और धारा 171 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकारी शामिल नहीं हैं'' चिहन, शब्द, अंक तथा कोष्ठक रखे जाएंगे;
- खण्ड (16) में, ''केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड'' शब्दों के स्थान पर, ''केन्द्रीय (ख) अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड", शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे,
- खण्ड (17) में, उप-खण्ड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किया (ग) जाएगा, अर्थात् :--
 - ''(ज) योगमान या बुक मेकर की अनुज्ञप्ति के रूप में शामिल किसी घुड़–दौड़ क्लब के क्रियाकलाप या ऐसे क्लब में किसी अनुज्ञप्त बुक मेकर के क्रियाकलाप;";
- खण्ड (18) का लोप कर दिया जाएगा; (ਬ)
- खण्ड (35) में, ''खण्ड (ग)'' शब्द, कोष्ठकों तथा अक्षर के स्थान पर, ''खण्ड (ख)'' शब्द, (ङ) कोष्ठक तथा अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- खण्ड (६९) के उप-खण्ड (च) में, ''अनुच्छेद 371'' शब्द तथा अंकों के बाद, ''और अनुच्छेद (च) 371ज" शब्द, अंक तथा अक्षर जोड़े जाएंगे;
- (छ) खण्ड (102) में,-
 - अन्त में विद्यमान ";" चिहन के स्थान पर, "।" चिहन प्रतिस्थापित किया जाएगा; (i)
 - निम्नलिखित व्याख्या जोड़ी जाएगी, अर्थात्:-

''व्याख्या.— संदेहों को हटाने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि अभिव्यक्ति ''सेवाओं'' में शामिल है, प्रतिभूतियों में संव्यवहार को सुकर या प्रबंधित करना।"।

मूल अधिनियम की धारा 7 में,-3.

हरियाणा

उप-धारा (1) में,-(क)

अधिनियम 19 की धारा 7 का संशोधन।

2017 का

खण्ड (ख) में, ''चाहे वह कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए हो या नहीं'' शब्दों के पश्चात, ''और'' शब्द रखा गया जाएगा और प्रथम जुलाई, 2017 से रखा गया समझा जाएगा ;

- (ii) खण्ड (ग) में, "क्रियाकलाप" शब्द के पश्चात्, "और" शब्द का लोप कर दिया जाएगा और प्रथम जुलाई, 2017 से लोप किया गया समझा जाएगा ;
- (iii) खण्ड (घ) का लोप कर दिया जाएगा और प्रथम जुलाई, 2017 से लोप किया गया समझा जाएगा :
- (ख) उप—धारा (1) के बाद, निम्नलिखित उप—धारा रखी जाएगी और प्रथम जुलाई, 2017 से रखी गई समझी जाएगी, अर्थात् :—
 - "(1क) जहां कतिपय क्रियाकलाप या संव्यवहार उप—धारा (1) के उपबन्धों के अनुसार कोई प्रदाय हैं, उन्हें अनुसूची II में यथानिर्दिष्ट या तो मालों का प्रदाय या सेवाओं का प्रदाय माना जाएगा।";
- (ग) उप—धारा (3) में, ''उप—धारा (1) तथा (2)'', शब्दों, चिह्न, कोष्ठकों तथा अंकों के स्थान पर, ''उप—धारा (1), (1क) तथा (2)'' शब्द, चिह्न, कोष्ठक, अंक तथा अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे और प्रथम जुलाई, 2017 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे।

2017 का हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 9 का संशोधन।

- 4. मूल अधिनियम की धारा 9 की उप—धारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप—धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--
 - "(4) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकती है, जो किसी अरजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता से प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों के विनिर्दिष्ट प्रवर्गों के प्रदाय के संबंध में ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता के रूप में प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर का भुगतान करेंगे तथा इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को इस प्रकार लागू होंगे मानो वह माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदाय के संबंध में कर का भुगतान करने के लिए दायी व्यक्ति है।"।

2017 का हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 10 का संशोधन।

- . मूल अधिनियम की धारा 10 में,—
 - I. उप-धारा (1) में-
 - (i) ''उसके द्वारा भुगतानयोग्य कर के स्थान पर, ऐसी दर'' शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, ''धारा 9 की उप—धारा (1) के अधीन उसके द्वारा भुगतानयोग्य कर के स्थान पर, ऐसी दर'' शब्द, अंक, चिहन और कोष्टक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;
 - (ii) परन्तुक में,-
 - (क) ''एक करोड़ रूपए'' शब्दों के स्थान पर, ''एक करोड़ पचास लाख रूपए'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;
 - (ख) अन्त में विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर, ''ः'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगाः
 - (iii) परन्तुक के बाद, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :--
 - "परन्तु यह और कि कोई व्यक्ति, जो खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन कर भुगतान करने का विकल्प लेता है, राज्य में पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में आवर्त के दस प्रतिशत से अनधिक मूल्य की सेवाओं (अनुसूची II के पैरा 6 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट से भिन्न) या पांच लाख रूपए, जो भी अधिक हो, का प्रदाय कर सकता है।":
 - II. उप—धारा (2) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :--
 - ''(क) उप–धारा (1) में यथा उपबन्धित के सिवाय, वह सेवाओं के प्रदाय में नहीं लगा हुआ है;''।

2017 का हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 12 का संशोधन।

- 6. मूल अधिनियम की धारा 12 की उप—धारा (2) के खण्ड (क) में, ''की उप—धारा (1)'' शब्दों, चिह्न, कोष्ठक और अंक का लोप कर दिया जाएगा।
- 2017 का हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 13 का संशोधन।
- 7. मूल अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (2) में,-
 - (क) खण्ड (क) में, ''की उप–धारा (2)'' शब्दों, चिह्न, कोष्ठकों और अंक का लोप कर दिया जाएगा: और
 - (ख) खण्ड (ख) में, ''की उप–धारा (2)'' शब्दों, चिह्न, कोष्ठकों और अंक का लोप कर दिया

- 8. मूल अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (2) में,-
 - (क) खण्ड (ख) में, व्याख्या के स्थान पर, निम्नलिखित व्याख्या प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "व्याख्या.— इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने माल या सेवाओं, जैसी भी स्थिति हो, को प्राप्त किया है—

2017 का हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 16 का संशोधन।

- (i) जहां माल प्रदायकर्ता द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता या ऐसे रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति के निर्देश पर किसी अन्य व्यक्ति, चाहे वह अभिकर्ता या अन्यथा के रूप में माल के संचालन से पूर्व या के दौरान, या तो माल पर हक के दस्तावेजों के अन्तरण के माध्यम से या अन्यथा कार्य कर रहा हो, को परिदत्त कर दिया जाता है;
- (ii) जहां सेवाएं प्रदायकर्ता द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निर्देश पर या के निमित्त उपलब्ध करवाई जाती है।":
- (ख) खण्ड (ग) में, ''धारा ४1'' शब्द और अंकों के स्थान पर, ''धारा ४1 या धारा ४३क'' शब्द, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- 9. मूल अधिनियम की धारा 17 में,-
 - (क) उप-धारा (3) में, निम्नलिखित व्याख्या रखी जाएगी, अर्थात्:-

''व्याख्या.— इस उप—धारा के प्रयोजनों के लिए ''छूट—प्राप्त प्रदाय का मूल्य'' अभिव्यक्ति में, अनुसूची III में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों या संव्यवहारों के मूल्य सम्मिलित नहीं होंगे, सिवाय उनके जो उक्त अनुसूची के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट हैं।'';

(ख) उप—धारा (5) के खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(क) तेरह से अनिधक (चालक सिहत) अनुमोदित बैठने की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों के परिवहन के लिए मोटरयान, सिवाय जब उनका उपयोग निम्नलिखित कराधेय प्रदायों को करने के लिए किया जाता है, अर्थात् :—

- (क) ऐसे मोटरयानों के आगे के प्रदाय के लिए ; या
- (ख) यात्रियों के परिवहन के लिए ; या
- (ग) ऐसे मोटरयानों को चलाने हेत् प्रशिक्षण देने के लिए ;
- (कक) जलयानों और वायुयान सिवाय जब उनका उपयोग-
 - (i) निम्नलिखित कराधेय प्रदायों को करने के लिए किया जाता है, अर्थात् :–
 - (क) ऐसे जलयानों या वायुयान के आगे के प्रदाय के लिए ; या
 - (ख) यात्रियों के परिवहन के लिए ; या
 - (ग) ऐसे जलयानों नौपरिवहन का प्रशिक्षण देने के लिए :
 - (घ) ऐसे वायुयान की उडान पर प्रशिक्षण देने के लिए;
 - (ii) माल के परिवहन के लिए;
- (कख) साधारण बीमा की सेवाओं, सर्विसिंग, मरम्मत और अनुरक्षण, जहां तक उनका संबंध खण्ड (क) या खण्ड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयानों, जलयानों या वायुयान से है : परन्तु ऐसी सेवाओं के संबंध में इनपूट कर प्रत्यय उपलब्ध होगा—
 - (i) जहां खण्ड (क) या खण्ड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयानों, जलयानों या वायुयान का उपयोग उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाता है ;
 - (ii) जहां किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो-
 - (I) ऐसे मोटरयानों, जलयानों या वायुयान के विनिर्माण में लगा हुआ है; या
 - (II) उसके द्वारा बीमाकृत ऐसे मोटरयानों, जलयानों या वायुयान के संबंध में साधारण बीमा सेवाओं के प्रदाय में लगा हुआ है ;
- (ख) माल या सेवाओं या दोनों का निम्नलिखित प्रदाय
 - (i) खाद्य और पेय—पदार्थ, बाह्य खानपान, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाओं, प्रसाधन और प्लास्टिक शल्य—चिकित्सा, खण्ड (क) या खण्ड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयानों, जलयानों या वायुयान को पट्टे, किराये या भाड़े पर लेने के सिवाय जब उनका उपयोग उनमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा:

2017 का हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 17 का संशोधन। परन्तु ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध होगा जब ऐसे माल या सेवाओं या दोनों का आवक प्रदाय का उपयोग किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उसी प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों के जावक कराधेय प्रदाय के लिए या कराधेय सिमश्र या मिश्रित प्रदाय के तत्व के रूप में किया जाता है:

- (ii) किसी क्लब, स्वास्थ्य और फिटनेस केंद्र की सदस्यता ; और
- (iii) अवकाश पर कर्मचारियों के लिए विस्तारित यात्रा लाभ जैसे छुट्टी या गृह यात्रा रियायत :

परन्तु ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध होगा, जहां ये किसी नियोक्ता के लिए अपने कर्मचारियों को तत्समय लागू किसी विधि के अधीन उपलब्ध कराना बाध्यकर हो।"।

2017 का हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 20 का संशोधन। 10. मूल अधिनियम की धारा 20 में, व्याख्या के खण्ड (ग) में, ''प्रविष्टि 84 के अधीन'' शब्दों और अंकों के स्थान पर, ''प्रविष्टि 84 और 92क के अधीन'' शब्द, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2017 का हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 22 का संशोधन।

- 11. मूल अधिनियम की धारा 22 में,-
 - (क) उप-धारा (1) में,-
 - (i) परन्तुक में, अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा
 - (ii) परन्तुक के बाद, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु यह और कि विशेष प्रवर्ग राज्य जहां ऐसा व्यक्ति, जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार ने प्रथम परन्तुक में निर्दिष्ट समग्र आवर्त को बढ़ा दिया है, तो वह रिजस्ट्रीकृत होने के लिए दायी होगा यदि वित्त वर्ष में उसका समग्र आवर्त ऐसे बढ़े हुए आवर्त की समकक्ष राशि से अधिक होता है।";

(ख) व्याख्या के खण्ड (iii) में, ''संविधान'' शब्द के बाद, ''जम्मू और कश्मीर राज्य तथा अरूणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और उत्तराखण्ड राज्यों के सिवाय'' शब्द तथा चिहन जोडे जाएंगे।

2017 का हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 24 का संशोधन। 12. मूल अधिनियम की धारा 24 के खण्ड (x) में, "वाणिज्य प्रचालक" शब्दों के पश्चात्, "जिससे धारा 52 के अधीन कर का संग्रहण करना अपेक्षित है" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2017 का हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 25 का संशोधन।

- 13. मूल अधिनियम की धारा 25 में,-
 - (क) उप–धारा (1) में,–
 - (i) परन्तुक में, अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा
 - (ii) परन्तुक के बाद, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :--

"परन्तु यह और कि किसी ऐसे व्यक्ति, जिसके पास किसी विशेष आर्थिक जोन में विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 28) में यथापरिभाषित कोई यूनिट है या जो विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता है, को ऐसे किसी पृथक् रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करना होगा, जो कि राज्य में विशेष आर्थिक जोन के बाहर अवस्थित उसके कारबार के स्थान से सुभिन्न है।";

(ख) उप—धारा (2) के परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके पास राज्य में कारबार के बहु स्थान हैं, ऐसी शर्तें, जो विहित की जाएं, के अधीन रहते हुए, कारबार के ऐसे प्रत्येक स्थान के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण स्वीकृत किया जा सकता है।"।

2017 का हरियाणा

अधिनियम 19 की

धारा 29 का

संशोधन।

- 14. मूल अधिनियम की धारा 29 में,-
 - (क) उपांतिक शीर्ष में, "रद्दकरण" शब्द के बाद, "या निलम्बन" शब्द रखे जाएंगे;
 - (ख) उप-धारा (1) में,-
 - (i) खंड (ग) में, अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा
 - (ii) खंड (ग) के बाद, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :--

"परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के संबंध में दायर की गई कार्यवाहियों के लिम्बत रहने के दौरान, रजिस्ट्रीकरण को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में स्थगित किया जा सकता है;

- (ग) उप-धारा (2) में,-
 - (i) परन्तुक में, अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, "ः" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा
 - (ii) परन्तुक के बाद, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :--

"परन्तु यह और कि रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के संबंध में कार्यवाहियों के लम्बित रहने के दौरान, समुचित अधिकारी रजिस्ट्रीकरण को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में निलम्बित कर सकता है।"।

- 15. मूल अधिनियम की धारा 34 में,—
 - (क) उप–धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

2017 का हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 34 का संशोधन।

- "(1) जहां किन्हीं मालों या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए एक या अधिक कर बीजक जारी किए गए हैं और उस कर बीजक में कराधेय मूल्य या प्रभारित कर ऐसे प्रदाय के संबंध में कराधेय मूल्य या भुगतानयोग्य कर से अधिक पाया जाता है या जहां प्राप्तकर्ता द्वारा प्रदाय किए गए माल को वापस किया जाता है या जहां प्रदाय किए गए माल या सेवाओं या दोनों में कमी पाई जाती है, वहां रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने ऐसे माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय किया है, प्राप्तिकर्ता को ऐसी विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, अंतर्विष्ट करते हुए किसी वित्तीय वर्ष में किए गए प्रदायों के लिए एक या अधिक जमा पत्र जारी कर सकता है।";
- (ख) उप–धारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–
 - "(3) जहां किन्हीं मालों या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए एक या अधिक कर बीजक जारी किए गए हैं और उस कर बीजक में कराधेय मूल्य या प्रभारित कर ऐसे प्रदाय के संबंध में कराधेय मूल्य या भुगतानयोग्य कर से कम पाया जाता है, वहां रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने ऐसे माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय किया है, प्राप्तिकर्ता को ऐसी विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, अंतर्विष्ट करते हुए किसी वित्तीय वर्ष में किए गए प्रदायों के लिए एक या अधिक नामे पत्र जारी करेगा।"।
- 16. मूल अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (5) में,-
 - (i) अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा
 - (ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :--

"परन्तु इस उप—धारा में दी गई किसी बात के न होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी ऐसे स्थानीय प्राधिकरण को लागू होगी, जिसकी लेखा बहियां, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक या तत्समय लागू किसी विधि के अधीन स्थानीय प्राधिकरणों के लेखों की संपरीक्षा के लिए नियुक्त किसी लेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा किए जाने के अधीन हैं।"।

- 17. मूल अधिनियम की धारा 39 में,-
 - (क) उप–धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(1) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के उपबधों के अधीन कर भुगतान करने वाले किसी व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलैंडर मास या उसके किसी भाग के लिए इलेक्ट्रोनिक रूप में माल या सेवाओं या दोनों के आवक और जावक प्रदायों, प्राप्त इनपुट

2017 का हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 35 का संशोधन।

2017 का हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 39 का संशोधन। कर प्रत्यय, भुगतानयोग्य कर, भुगतान किया गया कर ऐसे प्ररूप, रीति तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, में विवरणी देगाः

परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कितपय ऐसे वर्गों को अधिसूचित कर सकती है, जो ऐसी शर्तों और सुरक्षा के उपायों, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अधीन रहते हुए, प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए विवरणी प्रस्तुत करेंगे।";

- (ख) उप-धारा (७) में,-
 - (i) अन्त में विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर, ''ः'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा
 - (ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :--

"परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कित्तपय ऐसे वर्गों को अधिसूचित कर सकती है, जो ऐसी शर्तों और सुरक्षा के उपायों, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अधीन रहते हुए, ऐसी विवरणी के अनुसार, ऐसी विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए उससे अपेक्षित अंतिम तिथि को या इससे पूर्व सरकार को देय कर या उसके किसी भाग का भूगतान करेंगे।";

- (ग) उप–धारा (9) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--
 - "(9) धारा 37 और 38 के उपबंधों के अध्यधीन यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात, कर प्राधिकारियों द्वारा संवीक्षा, संपरीक्षा, निरीक्षण या प्रवर्तन क्रियाकलाप के परिणामस्वरूप से अन्यथा, उसमें किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का पता चलता है, तो वह इस अधिनियम के अधीन ब्याज के भुगतान के अध्यधीन, ऐसे रूप तथा रीति, जो विहित की जाएं, में ऐसे लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का सुधार करेगाः

परंतु किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का ऐसा सुधार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् सितंबर मास के लिए या आगामी दूसरी तिमाही के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की देय तिथि के या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की वास्तविक तिथि, जो भी पूर्वतर हो, के पश्चात् अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।"।

2017 का हरियाणा **18.** अधिनियम 19 की धारा 43क का रखा जाना। मूल अधिनियम की धारा 43 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात :--

"43क. विवरणी प्रस्तुत करने तथा इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने की प्रक्रिया.— (1) धारा 16 की उप—धारा (2), धारा 37 या 38 में दी गई किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 39 की उप—धारा (1) के अधीन प्रस्तुत विवरणियों में प्रदायकर्ताओं द्वारा दिए गए प्रदायों के ब्यौरों का सत्यापन, विधिमान्यकरण, उपांतरण करेगा या उन्हें हटाएगा।

- (2) धारा 41, धारा 42 या धारा 43 में दी गई किसी बात के होते हुए भी, प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने की प्रक्रिया और उसका सत्यापन ऐसा होगा, जो विहित किया जाए।
- (3) प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने के प्रयोजनों के लिए, सामान्य पोर्टल पर प्रदायकर्ता द्वारा जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया ऐसी होगी, जो विहित की जाए।
- (4) उपधारा (3) के अधीन प्रस्तुत न किए गए जावक प्रदायों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने की प्रक्रिया ऐसी होगी, जो विहित की जाए और ऐसी प्रक्रिया में इनपुट कर प्रत्यय की ऐसी अधिकतम राशि सम्मिलित हो सकती है, जिसका इस प्रकार फायदा लिया जा सकता है, जो उक्त उप—धारा के अधीन प्रदायकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों के आधार पर, उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (5) ऐसे जावक प्रदायों, जिनके लिए प्रदायकर्ता द्वारा उप—धारा (3) के अधीन ब्यौरे प्रस्तुत किए गए हैं, में विनिर्दिष्ट कर की राशि को अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उसके द्वारा भुगतानयोग्य कर के रूप में माना जाएगा।

- (6) प्रदाय के प्रदायकर्ता और प्राप्तिकर्ता, जावक प्रदायों जिनके लिए उप–धारा (3) या उप–धारा (4) के अधीन ब्यौरे प्रस्तुत किए गए हैं किन्तु जिसकी विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है, के सम्बन्ध में, संयुक्तः और पृथकतः कर के भुगतान या प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय के भुगतान, जैसी भी स्थिति हो, के लिए दायी होंगे।
- (7) उपधारा (6) के प्रयोजनों के लिए, वसूली ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में की जाएगी और ऐसी प्रक्रिया में गलती से प्राप्त की गई एक हजार रूपए से अनधिक कर या इनपुट कर प्रत्यय की राशि की वसूली न करने के लिए उपबंध किया जा सकता है।
- (8) ऐसे जावक प्रदायों, जिनके ब्यौरे किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उप—धारा (3) के अधीन निम्नलिखित अविध में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, के संबंध में प्रक्रिया, सुरक्षा उपाय और कर की राशि की अवसीमा,—
 - (i) रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के छह मास के भीतर ;
 - (ii) जिसने कर के भुगतान में व्यतिक्रम किया है और जहां ऐसा व्यतिक्रम, ऐसी व्यतिक्रम की राशि के भुगतान की नियत तिथि से दो मास से अधिक की अवधि के लिए जारी रहता है,

ऐसी होगी, जो विहित की जाए।"।

19. मूल अधिनियम की धारा 48 की उप—धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप—धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

2017 का हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 48 का संशोधन।

"(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी अनुमोदित माल और सेवा कर व्यवसायी को, धारा 37 के अधीन जावक प्रदायों के ब्यौरे, धारा 38 के अधीन आवक प्रदायों के ब्यौरे और धारा 39 या धारा 44 या धारा 45 के अधीन विवरणी को और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।"।

20. मूल अधिनियम की धारा 49 में,-

उप—धारा (2) में, ''धारा 41'' शब्द तथा अंकों के स्थान पर, ''धारा 41 या धारा 43क'' शब्द, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

2017 का हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 49 का संशोधन।

- (ख) उप-धारा (5) के खण्ड (ग) में,-
 - (i) ";" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा
 - (ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :

"परन्तु राज्य कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग एकीकृत कर के भुगतान के लिए केवल वहां किया जाएगा, जहां केन्द्रीय कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष एकीकृत कर के भुगतान के लिए उपलब्ध नहीं है,"।

21. मूल अधिनियम की धारा 49 के बाद, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"49क. कतिपय शर्तों के अध्यधीन इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग.— धारा 49 में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग, एकीकृत कर या राज्य कर, जैसी भी स्थिति हो, का भुगतान केवल तब किया जाएगा, जब एकीकृत कर के मद्दे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय का पहले ही ऐसे भुगतान के लिए पूर्णतया उपयोग कर लिया गया है।

2017 का हरियाणा अधिनियम 19 में धारा 49क तथा 49ख का रखा जाना।

"49ख. इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग का आदेश.— इस अध्याय में दी गई किसी बात के होते हुए भी और धारा 49 की उप—धारा (5) के खण्ड (घ) और खण्ड (ङ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर, जैसी भी स्थिति हो, के मद्दे किसी ऐसे कर के भुगतान के लिए इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग के क्रम और रीति विहित कर सकती है।"।

22. मूल अधिनियम की धारा 52 की उप—धारा (9) में, ''धारा 37'' शब्द तथा अंकों के स्थान पर, ''धारा 37 या धारा 39'' शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2017 का हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 52 का संशोधन।

23. मूल अधिनियम की धारा 54 में,-

क) उप—धारा (8) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

2017 का हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 54 का संशोधन। "(क) मालों या सेवाओं या दोनों के निर्यात या ऐसे निर्यातों को करने में प्रयुक्त इनपुट या इनपुट सेवाओं पर भुगतान किए गए कर का प्रतिदाय;";

- (ख) व्याख्या के खण्ड (2) में,-
 - (i) उप—खण्ड (ग) की मद (i) में, "विदेशी मुद्रा" शब्दों के पश्चात्, "या भारतीय रूपए में, जहां कहीं भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत किया जाए" शब्द रखे जाएंगे;
 - (ii) उप—खण्ड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित उप—खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"(ङ) उप—धारा (3) के प्रथम परन्तुक के खण्ड (ii) के अधीन उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय की दशा में, उस अवधि के लिए, जिसमें ऐसे प्रतिदाय का दावा उत्पन्न होता है, धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की देय तिथि;"।

2017 का हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 79 का संशोधन। 24. मूल अधिनियम की धारा 79 की उप—धारा (4) के बाद, निम्नलिखित व्याख्या जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

व्याख्या.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए, व्यक्ति शब्द में शामिल होंगे, "सुभिन्न व्यक्ति", जो धारा 25 की उप–धारा (4) या उप–धारा (5), जैसी भी स्थिति हो, में निर्दिष्ट है।"।

2017 का हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 107 का संशोधन। 25. मूल अधिनियम की धारा 107 की उप—धारा (6) के खण्ड (ख) में, ''उक्त आदेश'' शब्दों से पहले ''अधिकतम पच्चीस करोड़ रूपए के अध्यधीन'' शब्द रखे जाएंगे।

2017 का हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 112 का संशोधन। 26. मूल अधिनियम की धारा 112 की उप—धारा (8) के खण्ड (ख) में, ''उक्त आदेश'' शब्दों से पहले ''अधिकतम पचास करोड़ रूपए के अध्यधीन'' शब्द रखे जाएंगे।

2017 का हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 129 का संशोधन। 27. मूल अधिनियम की धारा 129 की उप—धारा (6) में, दो बार आने वाले ''सात दिन'' शब्दों के स्थान पर, क्रमशः ''चौदह दिन'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2017 का हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 143 का संशोधन।

- 28. मूल अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के परन्तुक में,-
 - (i) अन्त में विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर, '':'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा
 - (ii) परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि पर्याप्त कारण दर्शाने पर, एक वर्ष और तीन वर्ष की अवधि को, आयुक्त द्वारा क्रमशः एक वर्ष और दो वर्ष से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।"।

2017 का हरियाण अधिनियम 19 की अनुसूची I का संशोधन। 29. मूल अधिनियम की अनुसूची I में, पैरा 4 में, "कराधेय" शब्द का लोप कर दिया जाएगा।

2017 का हरियाणा अधिनियम 19 की अनुसूची II का संशोधन। 30. मूल अधिनियम की अनुसूची II में, शीर्ष में, ''क्रियाकलापों'' शब्द के बाद ''या संव्यवहार'' शब्द रखे जाएंगे और प्रथम जुलाई, 2017 से रखे गए समझे जाएंगे।

2017 का हरियाणा अधिनियम 19 की अनुसूची III का संशोधन।

- 31. मूल अधिनियम की अनुसूची III में,-
 - (i) पैरा 6 के बाद, निम्नलिखित पैरे रखे जाएंगे, अर्थात् :-
 - ''7. भारत के बाहर किसी स्थान से, भारत से बाहर किसी अन्य स्थान पर, ऐसे माल का भारत में प्रवेश के बिना माल का प्रदाय।

- 8. (क) घरेलू उपभोग के लिए निकासी से पूर्व किसी व्यक्ति को भांडागारित माल का प्रदाय।
 - (ख) प्रेषिती द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, माल का भारत से बाहर अवस्थित मूल पत्तन से प्रेषण किए जाने के पश्चात् किन्तु घरेलू उपभाग के लिए निकासी से पूर्व, माल के मालिकाना हक के दस्तावेज के पृष्ठांकन द्वारा माल का प्रदाय।"
- (ii) व्याख्या को व्याख्या 1 के रूप में सांख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार सांख्यांकित व्याख्या 1 के पश्चात्, निम्नलिखित व्याख्या जोड़ी जाएगी, अर्थात् :--
 - "व्याख्या 2.— पैरा 8 के प्रयोजनों के लिए, "भांडागारित माल" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा, जो इसे सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का केन्द्रीय अधिनियम 52) में दिया गया है।"।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम) को राज्य सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की अंतर—राज्य प्रदाय पर कर लगाने और संग्रह के प्रावधान के दृष्टिकोण के साथ अधिनियमित किया गया था।

- 2. अधिनियम मौजूदा करदाताओं के नए माल और सेवा कर व्यवस्था में सुचारू संक्रमण के लिए कुछ प्रावधान प्रदान करता है। हालांकि, नए कर शासन में कुछ किनाइयों का सामना करना पड़ा था। करदाताओं, विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों को माल और सेवा कर प्रणाली में होने वाली प्रमुख असुविधाओं में से एक विवरणी (रिटर्न) भरने और कर का भुगतान करने की प्रक्रिया थी। इस संबंध में, प्रस्तावित नई रिटर्न फाइलिंग प्रणाली में छोटे करदाताओं के लिए त्रैमासिक रिटर्न फाइलिंग और कर भुगतान की परिकल्पना की गई है। नई रिटर्न फाइलिंग प्रणाली को लागू करने के लिए, और उपर्युक्त किनाइयों को दूर करने के लिए, हिरयाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन करने का प्रस्ताव है।
- 3. प्रस्तावित हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित के लिए प्रावधान करता है, अर्थातः
 - (i) प्रदाय के दायरे को स्पष्ट करने के लिए अधिनियम की धारा 7 में संशोधन करना;
- (ii) अपंजीकृत व्यक्ति से कुछ निर्दिष्ट माल की आपूर्ति लेने वाले पंजीकृत व्यक्तियों के प्रवर्ग को प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर का भुगतान करने के लिए अधिसूचित करने के लिए हरियाणा सरकार को सशक्त करने के लिए अधिनियम की धारा 9 में संशोधन करना;
- (iii) अधिनियम की धारा 10 में संशोधन करने के लिए ताकि संगणित आधार पर कर का भुगतान करने की सीमा को एक करोड़ रुपए से एक करोड़ और पचास लाख रुपये तक बढ़ाया जा सके;
 - (iv) इनपुट कर प्रत्यय के दायरे को निर्दिष्ट करने के लिए अधिनियम की धारा 17 में संशोधन करने के लिए;
- (v) विशेष श्रेणी के राज्यों में पंजीकरण के लिए छूट सीमा दस लाख रुपये से बीस लाख रुपये तक बढ़ाने के लिए अधिनियम की धारा 22 में संशोधन करने के लिए;
- (vi) अधिनियम की धारा 25 में संशोधन करने के लिए तािक करदाता को राज्य में स्थित व्यवसाय के कई स्थानों के लिए एकािधक पंजीकरण प्राप्त करने का विकल्प प्रदान किया जा सके और विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई या डेवलपर के लिए अलग पंजीकरण प्रदान करने का प्रावधान किया जा सके। ;
- (vii) अधिनियम की धारा 29 में संशोधन करने के लिए ताकि पंजीकरण के अस्थायी निलंबन के प्रावधान को पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया के दौरान सम्मिलित किया जा सके;
- (viii) एक नई धारा 43ए डालने के लिए तािक रिटर्न दाखिल करने और इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त करने की नई प्रणाली प्रदान की जा सके;
- (ix) अपील से संबंधित अधिनियम के धारा 107 के उपधारा (6) में संशोधन करने के लिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपील दाखिल करने के लिए देय पूर्व—जमा राशि की सीमा राशि पच्चीस करोड़ रुपये तक हो;
- (x) अधिनियम की धारा 129 में संशोधन करने के लिए ताकि वस्तुओं और पारगमन में वाहन की हिरासत या जब्त से संबंधित अवधि को सात दिनों से चौदह दिनों तक बढाया जा सके।
- विधेयक उपर्यक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।

कैप्टन अभिमन्यु, आबकारी व कराधान मन्त्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ : दिनांक 6 सितम्बर, 2018. सुभाष चन्द्र, अपर सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 में राज्य की समेकित निधि से आवर्ती या गैर आवर्ती व्यय शामिल नहीं है।

.....

56535—H.V.S.—H.G.P., Chd.